जाए। हम चाहेंगे कि गृह मंत्री जी इस पर वक्तव्य दें और उस पर हम लोग बहस करें। बहस खुलकर होनी चाहिए कि ये जो हरकतें हो रही हैं इनसे देश किस तरह से चल सकता है और हम नहीं चाहेंगे कि उत्तेजना में कोई बात कही जाए क्योंकि हम भी मारे जा सकते हैं, कोई भी मारा जा सकता है। लोकशाही तभी चलती है जबकि आपस में रजामंदी से, पंचायत के आधार पर हम लोग चलें। अगर चलाना है तो क्या बंदूक और कट्टे के बल पर लोकशाही चलेगी? गवर्नर के ब्रिम्स पर जिसको हम लोग कहते हैं कि इनका विवेक बोलता है, उस पर लोकशाही चलेगी या लोकशाही जनप्रतिनिधियों व जनता की बुनियाद और उसकी सोच पर चलेगी। यह एक लम्बी बहस है और उस बहस के लिए आप इजाजत दें यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

MR. CHAIRMAN: We will look into it. It is very important — a member of elected assembly being shot dead. It is very serious matter and we will give some time. We will think it over. Some discussion should take place.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Q. No. 121

Cases against Cricket Players

*121. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state:

(a) whether the Enforcement Directorate has formally closed the cases against the cricket players involved in match fixing; and

(b) if so, what are the reasons for this decision?

श्री संजय निरुपम: माननीय सभापति जी, मेरा जो यह प्रश्न है यह प्रश्न एक अखबार में पहले पत्रे पर बहुत ही प्रमुखता से छपी हुई एक खबर के आधार पर है। यह खबर क्या है मैं मंत्री महोदया का ध्यान उस पर आकर्षित करना चाहता हूं। खबर की हेडिंग है—

'Match-fixing—Enforcement Directorate gives up the Hawala Case.' इस खबर में बताया गया है कि—"Enforcement Directorate in its investigation into the Hawala trial of the match-fixing scandal has not been able to come up with any evidence against the duo, namely, Azhar and Ajay Jadeja, and their co-accused Kishan Kumar, Sanjeev

Chawla, Kasim Benjamin, etc. इसके दो कारण बताए गए हैं। पहला कारण यह बताया गया है कि— "One reasons why the ED failed to crack the case is that all the accused just clamped up, recalls a senior official. Take the case of Kishan Kumar. First, he claimed that he did not understand English. Then, he claimed that he was a Hindi film hero and was not capable of this kind of an act". दूसरा कारण ये बताया गया है कि, "Another factor that worked against the ED was the deadline. The charge-sheet had to be filed by February, 2001, since FERA cases lapsed on this date."

मेरा प्रश्न यह है कि अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास मैच फिक्सिंग के साथ जुड़ा हुआ यह हवाला केस था तो भारत सरकार के अपने कानून के हिसाब से 6 महीने के अंदर उन्हें चॉर्जशीट फाइल करनी चाहिए थी, जो कि शायद अब तक फाइल नहीं हुई है। अगर वह चॉर्जशीट अब तक फाइल नहीं हुई है तो पूरा का पूरा केस लैप्स माना जाएगा। तो क्या मंत्री महोदया इस प्रश्न का जवाब देंगी कि क्या सचमुच चॉर्ज शीट फाइल नहीं हुई है? अगर फाइल नहीं हुई है तो क्या ईडी को केस फाइल करने के लिए किन्हीं विशेष परिस्थितियों में और एक्सटेंशन दी गई है?

सुश्री उमा भारती: सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है इसमें पशोपेश की एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। असल में यह जो सवाल है यह प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित है जो कि वित्त विभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन एडमिट हो गया है इसलिए मैं सदन में मर्यादा का पालन करते हुए उत्तर दे रही हूं। जितनी भी जानकारियां हम अपनी मर्यादित सीमा के अंतर्गत ले सकते थे, उन जानकारियों के अनुसार केस अभी क्लोज़ नहीं हुआ है और हमने इस बारे में वित्त विभाग को भी लिखा है कि बहुत जल्दी इसकी स्थिति के बारे में हमें जानकारी दे। यह हमारे विभाग से संबंधित सवाल नहीं है, सवाल प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित है जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन है, हम उनसे इतनी ही जानकारी एकत्रित कर सकते थे, इसके अलावा जानकारी देने की पात्रता मेरी नहीं है, और इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनसे कि जांच की गोपनीयता भंग हो सकती है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अश्वासन दे रही हूं कि हमने वित्त मंत्रालय को लिखा है कि इस केस की पूरी स्थिति से हमें ठीक तरीके से अवगत कराएं और इसको गति प्रदान करें।

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, यह जो खबर है यह 2 दिसंबर, 2001 को छपी है। मेरे ख्याल से इस खबर को आए दो-तीन महीने हो गए हैं और मंत्री महोदया ने अभी, मेरे प्रश्न किए जाने के बाद वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है, तो ठीक है। इससे मैं समझ सकता हूं कि

हमारे देश में क्रिकेट का क्या भविष्य होने वाला है। साल, दो साल पहले क्रिकेट प्लेयर्ज ने मैच फिक्सिंग के जरिए ज्ञान-बूझ कर मैच गंवाए, हिन्दुस्तान का नाम बिगाड़ा और हिन्दुस्तान की इज्जत दांव पर लगाई। इस तरह से पूरे देश में हम लोग जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं वे सारे के सारे आंदोलित हुए और सरकार ने इस तरह से एक स्टैंड लिया, एक रुख लिया कि जो भी दोषी हैं, जिसने भी मैच फिक्सिंग में अपनी भूमिका अदा की है उसको सजा दी जाएगी, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश साल-डेढ़ साल हो चुका है, अभी तक कुछ खास निकल कर नहीं आया। अजहरुद्दीन को सिर्फ लाइफटाइम बैन दिया गया है, पांच साल के लिए अजय जडेजा को है, लेकिन बाकी का क्या हुआ इसका कुछ पता देश में नहीं चल रहा है। मैं सभी महोदया से जानना चाहता हूं कि ठीक है, यह वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन क्रिकेट खेल आपका विषय है, इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि इस खेल में अगर कुछ गलत हो रहा है तो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की जिम्मेदारी आपकी है। यह दो तीन तरीके से पूरी जांच हो रही है। एक तो के० माधवन को बो०सी०सी०आई० ने अप्वाइंट किया कि आप छान-बीन करिए। उसके बाद सी०बी०आई० के पास पूरा केस दिया गया और सी०बी०आई० को छान-बीन करने के लिए कहा गया। तीसरी बात, हवाला का जो एंगल था, उसके लिए ईडी को केस दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सी०बी०आई० ने अब तक इस पूरे मामले में कोई चार्जशीट फाइल की है? दूसरी बात, इन्कम टैक्स में जो बुकीज़ के ऊपर, सटोरियों के ऊपर जो रेड डाले गए उसकी कोई डिटेल आपके पास है कि ऐसे कितने बुकीज़ अरेस्ट हुए थे, क्या उन सटोरियों के बारे में आप बता सकते हैं? क्या सिर्फ इन्कम टैक्स का केस उसके खिलाफ छोड़ करके या रख करके बाकी सारे का सारा केस भूल जाना चाहिए? जिन्होंने क्रिकेट मैच देखा उन्होंने इस उम्मीद में देखा कि वे एक अच्छा क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, लेकिन मैच फिक्सिंग में जो प्लेयर्ज़ इन्वाल्व थे उन्होंने उन दर्शकों के साथ, धोखा किया, एक तरह से चीटिंग की, देश के साथ धोखा किया। यह देश-द्रोही किस्म का एक इतना बड़ा जो कृत्य था उसके खिलाफ हम एक दूसरे के मंत्रालय के ऊपर जिम्मेदारी डाल कर या छोड़ कर पूरे मामले को भूल जाएं तो मुझे नहीं लगता कि यह सही बात है। कम से कम उमा भारती जी से तो मैं इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकता। इसलिए वह यह बताएं कि सीबीआई का केस कहां तक पहुंचा है, इस समय सीबीआई ने कोई चॉजशीट फाइल की है या नहीं, कितने बुकीज़ अभी तक अरेस्ट हुए हैं और उनके खिलाफ किसी तरह का केस है?

सुश्री उमा भारती: सर, सब से पहले तो मैं संजय निरुपम जी को बताना चाहूंगी कि जैसा उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं, जो कि हमारी मर्यादा में नहीं होते हैं तो वहां पर हमें हाथ-पांव चलाने भी नहीं चाहिए। महोदय, मैच फिक्सिंग के पूरे मामले में खेल मंत्रालय ने सी०बी०आई० को रिपोर्ट देने और पूरी जांच करने

की रिक्वेस्ट की थी। खेल मंत्रालय ने ही इस पूरे मामले को इनीशिएट किया था, सी०बी०आई ने पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद उसे सबमिट भी किया था और वह रिपोर्ट सदन के सामने रखी भी गयी थी। उस समय हमने सी०बी०आई से पूछा था कि इस पूरे मामले में जब एक बार अपराध सुनिश्चित हो जाएंगे कि, हां, इस प्रकार के अपराध हुए हैं, तो उस में कार्यवाही करने की पात्रता किसकी होगी, हमारी या आप की? उस संबंध में सी०बी०आई० ने हम को जो पत्र लिखा है, सभापति जी, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं उसे माननीय सदन में पढ़कर सुना सकती हूं।

In this connection, it is hereby informed that decision regarding action to be taken against Mohd. Azharuddin and Ajay Sharma under Prevention of Corruption Act, 1988, will be taken by the CBI. No further orders are necessary from the Ministry for the Ministry of Youth Affairs in this regard. सर, मुझे माननीय सदस्य से एक बात और निवेदन करनी है। मुझे जब भी अवसर मिला है तब-तब मैंने सदन को निवेदन किया है कि और हम ने कानून मंत्रालय से भी इस बारे में कई बार मैच फिक्सिंग के मामले में संपर्क किया है कि सी०बी०आई० की जो जांच रिपोर्ट आई है उस के बारे में कार्यवाही करने की पत्राता किस की हो और उस कार्यवाही का स्वरूप क्या हो। इस मामले में हमने अपनी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की है, ऐसी बात नहीं है। सी०बी०आई० की रिपोर्ट के आधार पर बी०सी०सी०आई० ने अपना एक्शन लिया है और एक प्रकार का जो नैतिक दण्ड देने का उन का अधिकार था, वह उन्होंने दिया है। फिर उस के आधार पर हमने खिलाड़ियों को देश का मान-सम्मान बढ़ाने के लिए और खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जो अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं.....(**व्यवधान**)....

श्री संजय निरुपम: सी०बी०आई० की रिपोर्ट नहीं, सी०बी०आई० की चार्जशीट चाहिए। महोदय, प्रक्रिया के हिसाब से अगर सी०बी०आई० ने कोई केस रजिस्टर किया है तो 6 महीने के अंदर उसे कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है और अगर चार्जशीट फाइल नहीं होगी तो पूरे-का-पूरा केस लैप्स हो जाएगा। मैं इस बात से आप को आगाह करना चाहता हूं।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: मंत्री महोदया, माफ करें, साउथ अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में ऐसे एल्लीगेशन किसी प्लेयर के खिलाफ थे, वहां डे-टू-डे बेसिस पर उन की इनवेस्टीगेशन की गयी है और एक्शन भी लिया गया है। लेकिन आप अभी तक उस की रिपोर्ट ही मंगवा रही हैं।

श्री सभापति: आप को सप्लीमेंटरी की इजाजत मिलेगी, इसलिए आप अभी नहीं बोल सकते।

सुश्री उमा भारती: सर, सी०बी०आई० की जो जांच चली है और उस में प्रवर्तन निदेशालय की जो जांच अभी चल रही है, जिस के बारे में माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न उठाया है तो जब ये

सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो सी॰बी॰आई॰ ने हमें सूचित किया है कि उस पर उचित कार्यवाही हम स्वयं ही करेंगे। उस के बारे में हमें दखल देने की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, मैं यह कह रही हूं कि चूंकि हम सी॰बी॰आई॰ की रिपोर्ट का सम्मान कर रहे थे, उस की सत्यता पर कोई संदेह नहीं कर रहे थे, इसलिए हम ने अपने मंत्रालय की तरफ से जो कार्यवाही हो सकती थी, उस कार्यवाही को किया और अर्जुन अवार्ड को वापिस लेने के बारे में हम ने फैसला लिया। सर, इस बारे जब हम ने कानून मंत्रालय का परामर्श मांगा तो उन्होंने कहा कि पहले हमें उन खिलाड़ियों को अपना पक्ष स्पष्ट करने का मौका देना चाहिए जिन के अवार्ड वापिस लेने के बारे में हम विचार कर रहे हैं। तो जब हम ने उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करने का मौका दिया और उस के बाद फिर जो स्थिति बनी और अटॉर्नी जनरल की जो राय आई, वह भी मैं बताए देती हूं। ...(व्यवधान)...

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: अटॉर्नी जनरल तो आप के बड़े अच्छे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप को मैं टाइम दूंगा। आप अभी इन के सवाल का जवाब नहीं देंगी। आप को टाइम बाद में मिलेगा, अभी नहीं।

सुश्री उमा भारती: सर, अटॉर्नी जनरल ने हमें जो निर्देश दिए थे, वह यह थे कि: If any proceeding with respect thereto are pending, it would be appropriate that the action of cancellation of award be deferred till the final outcome of those proceedings. सभापति जी, अभी तब सब अपने निष्कर्षों पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए उस आधार पर हमारा खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड देने का फैसला हमें थोड़े समय के लिए रोकना पड़ा। महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जितनी हमारी पात्रता थी, हम ने कार्यवाही की है क्योंकि यहां पर मैं उमा भारती नहीं हूं, खेल मंत्री हूं और खेल मंत्री की जो मर्यादाएं हैं, उन का उल्लंघन उमा भारती नहीं कर पाएगी। मुझे उन मर्यादाओं का पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए खेल मंत्री के नाते जो मैं कर सकती थी, खेल मंत्री जो कर सकता था, हमारा मंत्रालय जो कर सकता था, वह निर्णय हम ने लिया है। हम ने उस में अटॉर्नी जनरल की राय मांगी है। सी॰बी॰आई॰ ने कहा कि एक्शन लेने का अधिकार हमारा है। उन की जांच अभी बंद नहीं हुई है क्योंकि वह प्रवर्तन निदेशालय से कुछ चीजों को पुष्ट करना चाहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय को कुछ देशों के साथ संपर्क भी करना पड़ रहा है क्योंकि यह मामला इस प्रकार का है कि खाली इस देश से ही यह मामला संबंधित नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन के बारे में उन्हें बाहर से कुछ जानकारी लेनी है। सर, उसका अपना एक सुनिश्चित समय है, इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को जो हमेशा निवेदन करती रही हूं वह आज भी करना चाहूंगी। माननीय सदस्य की वजह से मुझे फिर

यह एक अवसर मिला है, जो मैं बार-बार निवेदन करती हूं, वह करूं, जिसका कांग्रेस पार्टी ने भी एक पार्टी के नाते से कई बार समर्थन किया है और वह यह है कि क्यों न खेल को कन्करेण्ट लिस्ट में लाने का अधिकार हमें दिया जाए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश कलमाडी: कभी नहीं किया।

सुश्री उमा भारती: अगर खेल को कन्करेण्ट लिस्ट में लाने के लिए हमें सभी लोग समर्थन करते हैं तो इन सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, जो माननीय सदस्य के मन में हैं कि हम कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। ...(**व्यवधान**)...

सर, सुरेश कलमाडी जी तो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वह इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और इसलिए इन लोगों की मनमानी रुक जाएगी। ...(**व्यवधान**)... इसलिए, सर, मेरा पूरे सदन से यह निवेदन है कि मुझे आप अधिकार दें कि मैं खेल को कन्करेण्ट लिस्ट में लाने का प्रस्ताव लाऊं। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: मान्यवर, जो आज हमारे स्पोर्टस की परफोरमेन्स हो रही है, वह सारी दुनिया जानती है। इसको पार्टी पोलिटिक्स का मुद्दा न बनाकर इसमें एक प्रेक्टीकल व्यू लेना चाहिए। मान्यवर, हमारे पूरे देश का बच्चा बच्चा क्रिकेट का फैन था और वह बच्चा होश संभालते ही अपनी गली में बैट और बॉल लेकर खेलना शुरू कर देता था, सोचता था कि किसी रोज में क्रिकेटर बनूंगा। यह जो इस देश के साथ देशद्रोह हुआ है, जो गद्दारी हुई है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज दो साल से ज्यादा का समय हो गया है और कहा जा रहा है कि अभी सी०बी०आई० जांच कर रही है, एन्फोर्समेंट जांच कर रही है, रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, यह फेयर नहीं है। क्या किसी के दबाव में आकर एजेन्सी को एक्शन लेने से रोका जा रहा है? अगर ऐसा है तो यह देशहित में नहीं है, यह खेल के हित में नहीं है और देश की जो सौ करोड़ जनता है, जिनकी भावना क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई थी उनके हित की चीज नहीं है। आप इसके अंदर एक्शन क्यों नहीं लेते? किसका आपके ऊपर दबाव है, जो आपने एजेन्सी को रोका हुआ है? मेरा यही सवाल है, आपसे, मान्यवर।

सुश्री उमा भारती: सर, मेरी मजबूरी है, मुझे माननीय सदस्य की बात का उत्तर देने के लिए पुराना रिकार्ड बजाना पड़ेगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले बजाया था। सी०बी०आई० कुछ हिस्से का वेट कर रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट का, लेकिन सी०बी०आई० के आधार पर बी०सी०सी०आई० ने अपना निर्णय लिया, एक नैतिक दंड उन खिलाड़ियों को दिया कि उनको कुछ समय के लिए निष्कासित कर दिया, खेल से बाहर कर दिया। उन खिलाड़ियों ने इस दंड को भी कोर्ट में चुनौती दी हुई है।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: सी०बी०आई० ने नहीं, बी०सी०सी०आई० ने दंड दिया।

सुश्री उमा भारती: वही मैं कह रही हूं, सर। सौरी, अगर मैं गलत शब्द बोल गई हूं। सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर बीसीसीआई ने उनको दंड दिया, जो कुछ समय के लिए उनको खेलने से बाहर कर दिया। अजहरुद्दीन और अजय जडेजा ने बीसीसीआई के डिसीजन को कोर्ट में चुनौती दी हुई है, जिस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। माननीय सदस्य का जो दुख है, उस दुख से सभी दुखी हैं क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल था, जिससे पूरे देश का नौजवान जुड़ा हुआ था क्योंकि क्रिकेट का खिलाड़ी नौजवानों की नजर में एक हीरो होता है और जब वह उनकी नजरों में गिरा तो पूरे देश के लोगों को दुख हुआ, सबको एक सदमा लगा। यह जो परिस्थिति बनी है, इसमें कहीं कोई दबाव नहीं है, न खेल मंत्रालय के ऊपर किसी का दबाव है और जितनी भी हमारी सीमित जानकारी हो सकती है उसके अनुसार सीबीआई के ऊपर भी कोई दबाव नहीं है। सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर ही बीसीसीआई ने कार्यवाही भी की है। उस कार्यवाही को कोर्ट में चुनौती दी गई है। कार्यवाही हमने भी की है, लेकिन हमारी कार्यवाही में अटार्नी जनरल ने जो एडवाइस दी उसका हमको पालन करना पड़ा। सर, न कोई दबाव है, न कोई कार्यवाही रोकी जा रही है, लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग तो अपने समय में होगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: आप अर्जुन अवार्ड तो वापस ले सकते हैं?

सुश्री उमा भारती: सर, अर्जुन अवार्ड के बारे में अटोर्नी जनरल का जो निर्देश है उसका हम पालन कर रहे हैं, लेकिन माननीय सदस्य की यह चिंता बिल्कुल स्वाभाविक है, मैं उनकी इस चिंता का पूरा सम्मान करती हूं। वास्तव में उस समय पर जो पूरी स्थिति बनी थी, उसके कारण क्रिकेट की छवि को, क्रिकेटर की छवि को और क्रिकेट से प्रेम रखने वाले लोगों के मन को धक्का लगा था, जो एक बहुत दुखदायी घटना थी और उसकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया आज चल रही है। मुझे नहीं लगता कि जो दंड का भागीदार होगा, वह बचेगा। कहीं कोई किसी का सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि जिसकी वजह से मैच फिक्सिंग के किसी अपराधी को बचाया जा रहा हो।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: मान्यवर मंत्री जी एक एसोरेन्स दे दें कि एक महीने में, दो महीने में या तीन महीने में हम कोई कार्यवाही करेंगे। कम से कम इतना तो आप कर सकती हैं कि अर्जुन अवार्ड वापस लें।

सुश्री उमा भारती: सर, अगर आप कहें तो माननीय सदस्य को इतना आश्वासन दे सकती हूं, हमने पहले ही फैसला किया है कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हैं उसमें एक गति आए, जल्दी से उसमें डिसीजन हो ताकि यह व्यग्रता समाप्त हो। इसमें हम इतना स्वयं अपनी तरफ से कर रहे हैं।

श्री सभापतिः नैक्स्ट क्वैश्चन—122, डा० कुमकुम राय।

डंकन उद्योग का बंद होना

*122. **डा० कुमकुम रायः** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानपुर के डंकन उद्योग बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) एक विवरणपत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (ग) डंकन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कानपुर ने उद्योग को बंद करने संबंधी नोटिस की एक प्रति महासचिव, आई ई एल मजदूर यूनियन को दी है और यह समझा जाता है कि यह नोटिस सचिव, उत्तर प्रदेश, श्रम विभाग, लखनऊ को भी दे दिया गया है। बंद करने संबंधी नोटिस की उपर्युक्त प्रति, रसायन और उर्वरक मंत्री को संबोधित आई ई एल मजदूर यूनियन के दिनांक 7.12.2001 के अभ्यावेदन के साथ उर्वरक विभाग में प्राप्त हुई थी।

सरकार ने खपत मानकों का एक यथार्थ स्तर निर्धारित करने की दृष्टि से डंकन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कानपुर सहित 13 यूरिया एककों के खपत मानकों को दिनांक 1.4.2000 से अंतरिम आधार पर संशोधित किया है। ये खपत मानक वर्ष 1999-2000 में प्राप्त हुए वास्तविक स्तरों या मौजूदा स्तर जो भी कम हों, पर आधारित हैं। प्रतिधारण मूल्यों में भी तदनुसार अंतरिम संशोधन किया गया है। इस संशोधन से यूरिया एककों से संबंधित प्रतिधारण मूल्यों और परिणामस्वरूप उन यूरिया एककों से वसूली में कमी हुई है। तथापि, ऐसे संशोधन मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है और VII वीं तथा VIII वीं मूल्य निर्धारण अवधियों के लिए नीति विषयक मानदण्डों पर सरकार के निर्णय के अध्यधीन हैं जिनमें खपत मानक भी शामिल होंगे।